निगरानी - 212 नन्दु बनाम मांगु प्र.स. 06/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मामला आज हाजा दिनांक 23/10/20 को अप्रार्थी का जवाब स्टेज बन्द कर दिया गया है तथा जवाब स्टेज बन्द को पुनः स्थापित का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी O.1 R.1 CPC तहत खारिज किया जाता है। जिसके बाद बहस हेतु दिनांक 25/2/21 को पेश करें। Gr सहायक कलेक्टर बदनोर जिला भीलवाड़ा	
25/2/21	वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जिसके बाद आदेश दिनांक 3/3/21 को पेश करें। Gr सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बदनोर	
3/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के ज्ञान उपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली जुमले कैफियत होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज 3/3/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Gr कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा) सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बदनोर जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), बदनोर

बईजलास श्री घनश्याम शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 06/2016

उनवान

1– श्रीमती नन्दू देवी पत्नी मांगू गुर्जर निवासी परा तहसील बदनोर ।

–प्रार्थीया

बनाम

1– मांगू पिता खुमाण गुर्जर निवासी परा तह. बदनोर।
2– धर्मा पिता खुमाण गुर्जर निवासी परा तह. बदनोर।
3– भंवरी देवी पत्नी धर्मा गुर्जर निवासी परा तह. बदनोर
4– उप पंजीयक एवं तहसीलदार बदनोर

–विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री नवरतन जोशी, वकील प्रार्थीया
श्री हरिशंकर शर्मा, वकील अप्रार्थी सं. 1 से 3

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक– 03.03.2021

1– प्रार्थीया के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम परा तहसील बदनोर में विपक्षी मांगू की संयुक्त पुश्तेनी खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी नम्बर 890, 891, 943, 944, 945, 1012, 1013, 1014, 1015, 1018, 1022, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1587, 1588 कुल किता 20 रकबा 4.43 हैक्टेयर भूमि तथा आराजी नम्बर 83, 84 किता 2 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

2– उपरोक्त वर्णित आराजीयात खमाण गुर्जर के समय की होकर पुश्तेनी आराजीयात है जो विरासत से विपक्षी मांगू व अन्य के नाम पर दर्ज

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

हुयी है तथा विपक्षी मांगू व उसके भाई धर्मा का उक्त पैतृक आराजीयात में 1/2 हिस्सा संयुक्त हक हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रार्थीया विपक्षी मांगू की विवाहिता पत्नी है एवं प्रार्थीया अपनी विवाह के बाद से ही विपक्षी मांगू के साथ –साथ उसके हक हिस्से की जमीन पर हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा प्रार्थीया ने काफी श्रम व लागत लगाकर अपने हक हिस्से को उपजाऊ बनाया है लेकिन विपक्षी मांगू अपने भाई विपक्षी संख्या 2 धर्मा व उसकी पत्नी विपक्षी संख्या 3 भंवरी के नाजायज बहकावट व सिखावट में होने से उक्त आराजीयात को विक्रय, रहन, बय–बक्षीश पर हस्तान्तरण करने पर आमादा है।

3– प्रार्थीया उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षी मांगू के साथ बहैसियत मालिकाना हक अधिकार से शांतिपूर्वक काबिज हो काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 की आराजीयात का एकमात्र स्त्रोत यही कृषि भूमि है इस भूमि से होने वाली आय से गुजर –बसर होता है।

4– विपक्षी संख्या 1 का चाल चलन ठीक नहीं है एवं विपक्षी ने मुझ प्रार्थीया के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया तथा अपने भाई धर्मा की पत्नी के साथ नाजायज संबन्ध स्थापित कर रखें है। धर्मा की पत्नी की बहकावट व सिखावट में उक्त आराजीयात को विक्रय, रहन, बय–बक्षीश कर हस्तांतरण करने पर आमादा है तथा विपक्षी संख्या 1, धर्मा की पत्नी द्वारा मुझ प्रार्थीया के साथ की गयी मारपीट के संबंध में मेरे द्वारा थाना बदनोर व थाना आसीन्द में भी रिपोर्ट दर्ज करवायी जिस पर उनको कई बार पाबंद भी किया गया।

5– दिनांक 05.02.2016 को विपक्षी संख्या 1 मांगू व विपक्षी धर्मा व उसकी पत्नी विपक्षी संख्या 3 वादग्रस्त आराजीयात पर आयें एवं लड़ाई–झगड़ा करने लग गये और कहा कि "तुझको कितनी बार उक्त आराजीयात से कब्जा छोडने के लिए कहा किन्तु तुम उक्त वादग्रस्त आराजीयात से कब्जा नहीं छोड रही हो उक्त आराजीयात हमारे नाम पर दर्ज है।" अब मैं इसको धर्मा की पत्नी अथवा उसके कहे अनुसार अन्य व्यक्ति को विक्रय, रहन, बय–बक्षीश कर अन्तरित व भारित कर दूंगा तथा उक्त आराजीयात से तूझे बेदखल कर देंगे

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश करने की नोबत आयी एवं विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह मुझ प्रार्थीया के आधिपत्यशुदा उक्त आराजीयात से प्रार्थीया को बेदखल नहीं करें एवं मुझ प्रार्थीया के शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें व नहीं किसी अन्य से करावें उक्त वादग्रस्त आराजीयात को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित न करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

6– अगर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं कराया गया तो वह उक्त वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द, अन्तरित कर देंगे एवं प्रार्थीया को उक्त वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थीया को अपूणीय क्षति होगी एवं अनेक वाद–विवाद बढ़ जायेंगे।

7– अन्त में अंकित किया गया की प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें की प्रार्थीया की प्रार्थनापत्र की धारा संख्या–1 में वर्णित आराजीयात में मांगू के हिस्से से प्रार्थीया को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द, अन्तरित एवं भारित नहीं करें वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल नहीं करें प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी नहीं करें न अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या 4 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावें की अगर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के अन्तरण का कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत हो तो वे उसका पंजीयन नहीं करें एवं न्यायालय की अनुमति के बिना राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नहीं करें एवं मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान फरमावें।

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

8– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा जवाब हेतु समुचित अवसर लिए जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की जवाबदेही स्टेज दिनांक 23.10.2020 को बंद की गयी। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पेरोकारराज उपस्थित हुए उनके द्वारा भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

9— तत्पश्चात वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात खमाण गुर्जर के समय की होकर पुश्तैनी आराजीयात है जो विरासत से अप्रार्थी संख्या 1 मांगू व अन्य के नाम दर्ज हुयी है जिसमें मांगू व उसके भाई धर्मा का वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 मांगू की विवाहिता पत्नी है तथा प्रार्थीया विवाह के बाद से ही विपक्षी मांगू के साथ उसके हक हिस्से की जमीन पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रहीं है। वकील प्रार्थीया का बहस में यह भी कथन था कि विपक्षी मांगू अपने भाई धर्मा व उसकी पत्नी भंवरी के बहकावट में आकर उक्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 की आजिविका का एकमात्र स्त्रोत उक्त कृषि भूमि है तथा इस भूमि से होने वाली आय से उनका गुजर–बसर होता है। वकील प्रार्थीया ने यह भी कथन किया की विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2, 3 के बहकावे में आकर प्रार्थीया के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया है तथा आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो वह प्रार्थीया के हक हिस्से की आराजीयात को विक्रय बय–बक्षीश कर देंगे जिससे प्रार्थीया को अपने हिस्से की पुश्तैनी आराजीयात से महरूम होकर अपूर्णीय क्षति का सामना करना पडेगा। अन्त में कथन किया की प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। जबकि वकील अप्रार्थीगण का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात के अप्रार्थी संख्या 1 से 2 खातेदार काश्तकार है और खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावें।

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

10— मैंने वकील उभयपक्ष की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

11— प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 मौजा परा तहसील बदनोर के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 890, 891, 943, 944, 945, 1012, 1013, 1014, 1015, 1018, 1022, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042,

1043, 1587, 1588 कुल किता 20 रकबा 4.43 हैक्टेयर भूमि हरि पिता झाला 1/2 मांगू, धर्मा पिता खमाण 1/2 गूजर सा.देह दर्ज रेकार्ड होना तथा विरासत से हरि पिता झाला 1/2 के बजाय नारायण, प्रभुलाल, सजनी पिता हरि 1/2 का नाम दर्ज रेकार्ड आना प्रकट आया है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 83, 84 किता 02 रकबा 0.8100 हैक्टेयर भूमि हरि पिता झाला 1/8 मांगू, धर्मा पिता खमाण 1/8 हिस्सा बराबर, नानू, माधू पिता घीसा, केली बेवा घीसा, कैलाश, रामदेव, गोविन्द पिता लादू, नौसर पत्नी लादू, मांगू, उगमा, खुमा पिता बालू, धापू पत्नी बालू 1/4 हिस्सा बराबर, सुजा, हरि पिता चतुर्भुज, किशना पिता उदा 1/2 गूजर सा.देह दर्ज रेकार्ड होना तथा विरासत से हरि पिता झाला 1/8 के बजाय नारायण, प्रभुलाल, सजनी पिता हरि 1/8 का नाम दर्ज रेकार्ड आना प्रकट आया है।

12— यहाँ प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात होकर खमाण गुर्जर के समय की है। वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 मांगू व 2 धर्मा का 1/2 हिस्सा है तथा वह विपक्षी संख्या 1 मांगू की विवाहिता पत्नी होकर उसके साथ उसके हक हिस्से की जमीन पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 मांगू अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मिलकर आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। चुंकि वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकार्ड के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें प्रार्थीया का प्रथमदृष्टिया कोई हक अधिकार प्रकट नहीं होता है। वादग्रस्त आराजीयात खमाण गुर्जर के समय की हो ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रार्थीया के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा व न्याय सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त इस स्टेज पर प्रार्थीया के पक्ष में प्रतित नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें। आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)